

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक: 6(24)प्र.सु./अनु.3/2011

जयपुर, दिनांक 4-6-2019

आदेश

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा सातवीं आर्थिक गणना-2019 सम्पन्न की जानी है। इस आर्थिक गणना में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक ईकाईयों की गणना के साथ-साथ उद्यम की स्थिति, संकार्य, प्रकृति, स्वामित्व, वित्त प्रबंधन एवं रोजगार इत्यादि से सम्बन्धित सूचना संकलित की जायेगी। राज्य में सातवीं आर्थिक गणना-2019 को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से एतद् द्वारा किया जाता है-

जिला स्तरीय समन्वय समिति

1. जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2. जिला पुलिस आयुक्त/अधीक्षक	सदस्य
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर	सदस्य
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
5. जिले में पदास्थापित उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
6. मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य
7. ए.सी.पी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिला मुख्यालय	सदस्य
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
10. प्रतिनिधि, एनएसएसओ (एफओडी) जयपुर/अजमेर	सदस्य
11. समस्त तहसीलदार	सदस्य
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।	
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका	सदस्य
14. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य सचिव

समिति के निर्धारित कार्य:

1. Monitor preparedness, progress and hurdles in conduct of 7th EC in the District on regular basis.
2. Provide feedback and assist the State Level Co-ordination Committee to perform its roles and functions effectively at the district level.
3. Sensitize/direct the local law and order authorities, local government functionaries at Panchayat/ward level for cooperation in smooth conduct of Economic Census.
4. Facilitate providing administrative unit maps of wards/villages for fieldwork of Economic Census.

5. To approve and disseminate the provisional district level results of the Economic Census.

समिति का प्रशासनिक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग होगा। यह समिति एक अस्थाई समिति होगी जो सातवीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी।

आज्ञा से,

(डॉ० प्रेम सिंह चरण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर,
9. समस्त पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधिक्षक।
10. समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त मुख्य आयोजना अधिकारी।
13. समस्त ए.सी.पी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिला मुख्यालय।
14. समस्त जिला महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
15. समस्त जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी।
16. उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय), NSSO भारत सरकार, 149-154, पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय), NSSO भारत सरकार, अजमेर।
18. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, (उप क्षेत्रीय कार्यालय), NSSO भारत सरकार, उदयपुर/कोटा/जोधपुर/गंगानगर/अलवर।
19. समस्त कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका।
20. समस्त तहसीलदार।
21. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
22. समस्त उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
23. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. एफ 16(1)1/डीईएस/इसी/VII/सामान्य/2018

(के.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव